



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2009/ज्येष्ठ 12, 1931

No. 94]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2009/JYAISTHA 12, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2009

सं. एल-7/165(180)/2008-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सभी पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "करार" से करार, सविदा या समझौता ज्ञापन या विद्युत की अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित किसी पहलू संबंधी कोई ऐसी प्रसविदा अभिप्रेत है जो अनुज्ञप्तिधारी, दीर्घकालिक ग्राहकों और केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या समझे गए अनुज्ञप्तिधारी के बीच की गई हो;

(ग) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या अनुज्ञप्ति का संशोधन करने के लिए आवेदन किया हो;

(घ) 'आवेदन' से यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने या अनुज्ञप्ति में संशोधन करने के लिए किया गया आवेदन अभिप्रेत हैं जिसमें ऐसे आवेदन के उपाबंध, संलग्नक सम्मिलित है ;

(ङ) 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' से प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण हेतु सेवाओं की उपाप्ति के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया का समन्वय करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अभिकरण अभिप्रेत है ;

(च) 'केंद्रीय पारेषण उपयोगिता' से अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय पारेषण उपयोगिता अभिप्रेत है ;

(छ) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ज) 'समझा गया अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के किसी परंतुकों के अधीन भी विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्तिधारी समझा जाता है ;

(झ) 'सशक्त समिति' से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में निर्दिष्ट सशक्त समिति अभिप्रेत है ;

(ञ) 'विस्तीर्ण वर्ष' से वर्ष के पहली अप्रैल से आरंभ होने वाला तथा आगामी वर्ष के 31वें मार्च को समाप्त होने वाले बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

(ट) 'ग्रिड संहिता' से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अभिप्रेत है ;

(ठ) 'प्रतिस्पर्धा बोली के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत' से पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए अधिनियम की धारा 63 के निबंधनों के अनुसार, समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है ;

(ड) 'प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत' से पारेषण सेवाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है ;

(ढ) 'अनुज्ञप्ति' से विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को आरंभ करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 14 के अधीन आयोग द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(ण) 'अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, और इसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित है;

(त) 'दीर्घ-कालिक ग्राहक' से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, जिसमें उसके कानूनी संशोधन तथा उसकी पुनः अधिनियमिति सम्मिलित हैं, में यथा-परिभाषित दीर्घ-कालिक ग्राहक अभिप्रेत है;

(थ) 'परियोजना' से पारेषण योजना में सम्मिलित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के तत्व या तत्व अभिप्रेत हैं;

(द) 'मानक' से अधिनियम की धारा 73 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीक मानक, सुरक्षा अपेक्षाएं तथा ग्रिड मानक अभिप्रेत हैं;

(ध) 'राज्य स्वामित्वाधीन या राज्य नियंत्रणाधीन कंपनी' से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें समादत्त शेयरपूजी के इक्यावन प्रतिशत से कम धारित न था जिससे बोर्ड की नियुक्ति केंद्रीय सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या किसी सरकारी कंपनी या कंपनियों या केंद्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार या सरकारों तथा किसी सरकारी कंपनी या कंपनियों द्वारा की जाती है, निदेशकों का बहुमत होता है;

(न) 'पारेषण प्रभार' से परियोजना के लिए आयोग द्वारा, यथास्थिति, अनुमोदित या अंगीकार किए गए पारेषण प्रभार अभिप्रेत हैं; और

(प) 'पारेषण योजना' से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई अल्पकालिक या भावी योजना या राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार केंद्रीय उपयोगिता द्वारा तैयार की गई नेटवर्क योजना अभिप्रेत है;

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय तथा जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों के पदों, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम, या ग्रिड कोड में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम या ग्रिड कोड में है।

(3) समय-समय पर यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1987 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन को ऐसे लागू होंगे मानो वे संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू हों।

अध्याय 2 - परियोजना का चयन तथा कार्यान्वयन अभिकरण

3. परियोजनाओं का चयन

सशक्त समिति परियोजनाओं की पहचान करेगी जिसमें प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विकसित की जाने वाली पारेषण योजना सम्मिलित है।

4. परियोजना विकासकर्ता

(1) यदि प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विकास सशक्त समिति द्वारा पहचानी गई परियोजनाओं की दशा में पहचानी गई परियोजना विकासकर्ता का चयन इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(2) ऐसी परियोजनाएं, जिसमें पारेषण योजना तथा प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विकसित किए जाने के लिए सशक्त समिति द्वारा न पहचानी गई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या समझा गया अनुज्ञप्तिधारी, या 5.1.2011 से या उससे पूर्व परियोजना विकासकर्ता के रूप में पहचानी गई राज्य स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी द्वारा विकसित की जाएगी।

अध्याय 3 - अनुज्ञप्ति प्रदान करना

5. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां

इन विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियां केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999, जिसमें उसके संशोधन तथा कानूनी अधिनियमितियां सम्मिलित हैं, द्वारा शासित होंगी।

6. अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्रता

कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि -

(क) उनका प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन प्रक्रिया के माध्यम से चयन न किया गया हो; या

(ख) वह 5.1.2011 को या उससे पूर्व परियोजना विकासकर्ता के रूप में पहचानी गई राज्य स्वामित्वाधीन कंपनी या राज्य नियंत्रणाधीन कंपनी न हो;

(ग) उसने ऐसी उत्पादन कंपनी जिसने समर्पित पारेषण लाइन तथा मुख्य पारेषण लाइन तथा अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के भाग रूप ऐसी समर्पित पारेषण लाइन के उपयोग के लिए आशयित समर्पित पारेषण लाइन सुस्थापित न की हो।

7. अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया

(1) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आयोग को इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप-1 में किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

(2) प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चयन किए गए व्यक्ति की दशा में, आवेदन में ऐसी अतिरिक्त जानकारी भी अंतर्विष्ट होगी, जो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अपेक्षित हो।

(3) आवेदन उसमें उल्लिखित तथ्यों से अवगत होने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा।

(4) आवेदन करने से पूर्व, आवेदक परियोजना के प्रत्येक दीर्घ-कालिक ग्राहकों को आवेदन की प्रति की तामील करेगा तथा आवेदन के साथ आवेदन के साथ उस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। वेबसाइट पर उन विशिष्टियों को, जो आवेदन में दी जाएगी, उपाबंधों तथा संलग्नकों के साथ पूर्ण आवेदन को डालेगा।

(5) आवेदन को उस समय तक वेबसाइट पर रखा जाएगा जब तक कि आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है या आवेदन रद्द नहीं किया जाता है।

(6) आवेदन फाइल करने के ठीक बाद, आवेदक आवेदन की एक प्रति केंद्रीय पारिषण उपयोगिता को भेजेगा।

(7) आवेदक, आवेदन करने 7 दिन के पश्चात्, इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप-2 में कम से कम दो समाचार-पत्रों में अपने आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा जो कि एक अंग्रेजी भाषा में दूसरा उस देशी भाषा में होगा, जिसका परिचालन उस प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में हो जहां परियोजना या दीर्घकालिक ग्राहक अवस्थित हो, तथा वह दैनिक समाचार-पत्र के रूप में उसी भाषा में हो जिसमें आवेदन की सूचना प्रकाशित की जाती है।

(8) आवेदन की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर, यथासंभव, आयोग का सचिवालय, आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करने पर जानकारी में आई त्रुटियों, यदि कोई हो, को सुधारने के लिए सूचित करेगा तथा त्रुटियों को भेजे जाने वाले पत्र में उपदर्शित समय के भीतर सुधारा जाएगा।

(9) खंड (7) के अधीन समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचना में, यह उपदर्शित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, जिसमें दीर्घ-कालिक ग्राहक भी सम्मिलित है, सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आवेदन संबंधी सुझाव तथा आपत्तियां, आवेदक को प्रति के साथ सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (या वह पता जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है) तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, नई दिल्ली-110001 के समक्ष फाइल की जा सकेंगी।

(10) आवेदक यथापूर्वोक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रकाशित सूचना के ब्यौरों को, उन समाचारपत्रों जिसमें सूचना प्रकाशित की गई है तथा तारीखें और उनमें प्रकाशन के स्थान को उपदर्शित करते हुए, शपथ पत्र पर आयोग को प्रस्तुत करेगा तथा उन समाचारपत्रों की मूल सुसंगत प्रतियां, जिसमें सूचना प्रकाशित की गई हैं, भी आयोग के समक्ष फाइल करेगा।

(11) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदन में किए गए प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें, यदि कोई हो, आयोग को भेजेगा:

परंतु यह कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा की गई सिफारिशों, यदि कोई हो, की प्रति हमेशा आवेदक को भेजी जाएगी:

परंतु यह और कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता की सिफारिशें आयोग पर आबद्धकर नहीं होंगी ।

(12) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा की गई सिफारिशों तथा अपने द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हो, पर अपनी टीका-टिप्पणियों को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को आवेदन की प्रति की तामील या समाचारपत्रों में सूचना के प्रकाशन के 45 दिन के भीतर सम्यक् रूप से समर्थित शपथपत्र पर फाइल करेगा । उसकी एक अग्रिम प्रति, यथास्थिति, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या उस व्यक्ति को भी देगा जिसने आवेदन में किए गए प्रस्तावों पर सुझाव तथा आपत्तियां फाइल की हैं ।

(13) आयोग आवेदक द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों तथा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रदान का प्रस्ताव कर सकेगा या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा ।

(14) अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, आयोग अपने प्रस्तावों पर और सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ऐसे दो दैनिक समाचारपत्रों, जैसा आयोग समुचित समझे, में अपने प्रस्तावों की सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें उस व्यक्ति का नाम तथा पता होगा जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है, उस परियोजना के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है, परियोजना की आस्तियों की अवस्थिति तथा मार्ग उपदर्शित होगा, यह किसी ऐसे अन्य ब्यौरों के अतिरिक्त होगा जो आयोग समुचित समझे ।

(15) आयोग यथा पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त और सुझावों तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् इन विनियमों से संलग्न प्ररूप 3 में यथा साध्य अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा या लिखित में निम्नलिखित किए जाने के कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा यदि ऐसा आवेदन अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार या किसी अन्य वैध कारण के लिए रद्द कर सकेगा ।

(16) आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने या आवेदन रद्द करने से पूर्व, आवेदक, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, दीर्घ-कालिक ग्राहकों या उस व्यक्ति, जिसने सुझाव तथा आपत्तियां फाइल की है या किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा:

परंतु यह और कि आवेदक को आवेदक रद्द करने से पूर्व हमेशा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(17) आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आदेश के 15 दिन के भीतर अनुज्ञप्ति की प्रति केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, आवेदक तथा दीर्घ-कालिक ग्राहकों को भेजेगा ।

अध्याय 4 - पारेषण प्रभार

8. पारेषण प्रभारों का अवधारण

(1) यदि अनुज्ञप्तिधारी का चयन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया गया है तो पारेषण प्रभारों को अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आयोग द्वारा अंगीकार किया जाएगा ।

(2) किसी अन्य मामलों में, पारेषण प्रभारों, प्रोत्साहन, या गैर-प्रोत्साहन और अन्य प्रभारों का अवधारण अधिनियम की धारा 61 के अधीन तथा समय-समय पर प्रवृत्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

9. पारेषण प्रभारों पर विधि के परिवर्तन का प्रभाव

यदि परियोजना के विकास के लिए अनुज्ञप्तिधारी का चयन प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है तो पारेषण प्रभारों पर विधि में परिवर्तन का प्रभाव करारों में किए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा ।

अध्याय 5 : अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तें

10. अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताएं

(1) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की वैधता के दौरान प्रज्ञापपूर्ण यूटिलिटी प्रेक्टिस के अनुसार बीमा बनाए रखेगा या जो निम्नलिखित के अधीन आवश्यक हो सकेगा, -

- (i) किसी भी करार; तथा
- (ii) भारत में प्रवृत्त विधि;

परंतु अनुज्ञप्तिधारी स्व-बीमा का विकल्प अपना सकेगा ।

(2) अनुज्ञापतिधारी परियोजना को समयबद्ध, दक्ष, समन्वित तथा समितव्ययी रीति से संनिर्मित, करेगा।

(3) अनुज्ञापतिधारी प्रज्ञावान उपयोगिता व्यवहारों तथा करारों के अनुसार परियोजना को स्थापित प्रचालित तथा उसका रखरखाव करेगा

(4) अनुज्ञापतिधारी परियोजना की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए अधिनियम की धारा 26 के अधीन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या धारा 28 की उपधारा (3) उसकी धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो समय-समय पर परियोजना की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए जारी किए जाए:

परंतु यह कि किसी अन्य कार्रवाई, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञापतिधारी के विरुद्ध की जा सकेगी, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण द्वारा किए गए आवेदन पर तथा अनुज्ञापतिधारी को सुनने के पश्चात्, अपना यह समाधान हो जाने पर कि पारेषण प्रणाली की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए अनुज्ञापतिधारी असफल हो गया है, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को ऐसी अवधि तथा ऐसे निबंधनों पर, जो आयोग विनिश्चय करे, ऐसे अनुज्ञापतिधारी की पारेषण प्रणाली के प्रचालन का नियंत्रण करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा।

(5) अनुज्ञापतिधारी प्रवृत्त विधियों, विशिष्टतया अधिनियम, अधिनियम के अनुसरण में विरचित नियमों तथा विनियमों; ग्रिड संहिता, मानकों, आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा निदेशों की सभी अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन करेगा;

(6) अनुज्ञापतिधारी, समय-समय पर, यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार किसी अन्य अनुज्ञापतिधारी, जिसमें वितरण अनुज्ञापतिधारी और विद्युत व्यापारी भी है, या उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए अपनी पारेषण प्रणाली हेतु अविभेदकारी निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा।

(7) अनुज्ञापतिधारी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 या ऐसे अन्य विनियमों के अनुसार अनुज्ञापति फीस का संदाय करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त हों।

(8) जब कभी आयोग का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो, अनुज्ञापतिधारी समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999, जिसमें उसकी कानूनी पुर्न-अधिनियमितियां भी हैं, के अनुसार आयोग के समक्ष समुचित आवेदन फाइल करेगा।

(9) अनुज्ञापतिधारी सभी अन्य विनियमों जिसमें विद्युत के पारेषण से भिन्न कारबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग के बारे में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियम सम्मिलित है, का अनुपालन करेगा।

11. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप

अनुज्ञप्तिधारी कोई संविदा नहीं करेगा या विद्युत के व्यापार के व्यवसाय में अन्यथा न लगेगा ।

12. अनुज्ञप्ति का समनुदेशन

ऋण प्रतिसंदाय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, आयोग उधारदाता द्वारा किए गए आवेदनों पर उधारदाताओं को नामनिर्देशिती को अनुज्ञप्ति समनुदेशित कर सकेगा ।

13. अनुज्ञप्ति के निबंधन

अनुज्ञप्ति जब तक अन्यथा पहले प्रतिसंहत न की जाए, जारी होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी:

परंतु यह कि अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, आयोग ऐसी और अवधि या अवधियों या ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर नई अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आशय के लिए किए गए आवेदन के पश्चात् आवश्यक समझे:

परंतु यह और कि नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने की दशा में, इन विनियमों में अंतर्विष्ट अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया यथावत् लागू होगी ।

14. अनुज्ञप्ति फीस के विलंब संदाय या असंदाय के परिणाम

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 के या प्रवृत्त किसी अन्य विनियम अधीन विलंब संदाय अधिभार का संदाय करने की अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति फीस या उसके किसी भाग के संदाय में 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए विलंब या असंदाय को अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के भंग के रूप में माना जाएगा ।

15. अनुज्ञप्तिधारी के लेखे

अनुज्ञप्तिधारी,

(क) प्रत्येक कारबार, जिसमें परियोजना की आस्तियों का उपयोग आरंभ करने वाले कारबार भी सम्मिलित है, ऐसे प्ररूप में पृथक रूप से बनाए रखेगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं तथा जब तक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न की जाएं, लेखाओं को समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार बनाए रखा जाएगा ।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समरूप आधार पर ऐसे अभिलेख लेखांकन, लेखांकन विवरणों को तैयार करेगा जिसमें लाभ तथा हानि लेखा, तुलनपत्र विवरण तथा स्रोत का विवरण तथा टिप्पणों सहित निधियों का उपयोगन

सम्मिलित होगा तथा उसमें ऐसे किसी राजस्व लागत, आस्ति, दायित्व आरक्षिति या प्रावधान की रकम पृथक रूप से दर्शित होगी जो, —

- (i) किसी अन्य कारबार से उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ प्रभावित की गई हों; या
- (ii) प्रभाजन या आबंटन के आधार पर वर्णन के साथ-साथ विभिन्न कारबार क्रियाकलापों के बीच प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारित की गई हों ।

ग) पूर्वगामी खंडों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तैयार किए गए ऐसे लेखा विवरण देगा जिसमें उनकी राय में विवरण पर्याप्त रूप से तैयार किए गए हों और जो उस कारबार, जिससे वे संबंधित हैं, से युक्तियुक्त रूप से माने जा सकने वाली राजस्व, लागत, आस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों की सही तथा उचित छवि प्रदान करते हों ।

16. लेखाओं का निरीक्षण

आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी युक्तियुक्त समय पर अनुज्ञप्तिधारी के लेखाओं का निरीक्षण तथा उन्हें सत्यापित करने का हकदार होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

17. जानकारी का दिया जाना

अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के अधीन व्यस्त अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ऐसी जानकारी देगा, जो समय-समय पर आयोग और प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा मांगी जाए:

परंतु यह कि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक ऊर्जा समिति समय-समय पर ऐसी उद्घटनाओं की रिपोर्ट आयोग को देगा जो अनुज्ञप्तिधारी के कार्य-निष्पादन के बारे में समुचित समझी जाएं ।

18. विवेकाधीन रिपोर्ट करना

अनुज्ञप्तिधारी यथा साध्य शीघ्र आयोग को निम्नलिखित रिपोर्ट देगा -

- (क) अनुज्ञप्तिधारी के प्रमुख शेयरधारण, स्वामित्व या प्रबंधन में किसी परिवर्तन; तथा
- (ख) करार के निर्वचन, संशोधन या समापन के लिए करार पर हस्ताक्षर करने वाले एक या उससे अधिक पक्षकारों द्वारा आरंभिक कोई भी कार्रवाई ।

19. अनुज्ञप्ति का संशोधन

- (1) आयोग अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तों में स्व:प्रेरणा से या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन कर सकेगा यदि आयोग की राय में लोकहित में ऐसा अपेक्षित हो:

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर अन्यथा किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों में कोई भी परिवर्तन और संशोधन करने का आदेश करने से पूर्व, आयोग दो ऐसे दैनिक समाचारपत्रों में, जो वह उचित समझे, निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ एक सूचना प्रकाशित करेगा; अर्थात् :-

- (क) अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता;
 - (ख) किए जाने के प्रस्तावित परिवर्तन तथा उपांतरण;
 - (ग) ऐसे परिवर्तन तथा उपांतरण के लिए आधार; और
 - (घ) नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आयोग के विचार के लिए प्रस्ताव पर सुझाव, यदि कोई हो, आमंत्रित करेगा ।
- (2) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में किसी भी सारवान् परिवर्तन या उपांतरण के लिए आवेदन करता है तो विनियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।
- (3) जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी अनुज्ञप्ति में कोई परिवर्तन या उपांतरण करने का प्रस्ताव करने के लिए आवेदन किया है वहां वह निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ ऐसे आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा, अर्थात् --

- (क) आवेदक का नाम ;
- (ख) यह कि परिवर्तन तथा उपांतरण के लिए आवेदन आयोग के समक्ष फाइल कर दिया गया है;
- (ग) आवेदन में प्रस्तावित परिवर्तन तथा उपांतरण के ब्योरे ;
- (घ) ऐसे परिवर्तन और उपांतरण करने के कारण;
- (ङ.) एक ऐसा कथन कि आयोग के समक्ष किए गए आवेदन को वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा उसका आवेदक के कार्यालय में निरीक्षण भी किया जा सकता है;

- (च) एक ऐसा कथन कि आवेदन में किए गए परिवर्तन तथा उपांतरण करने संबंधी प्रस्ताव के लिए कोई भी सुझाव सूचना के प्रकाशन के एक मास के भीतर आयोग के सचिव को भेजे जा सकेंगे ।

टिप्पण: इस विनियम तथा विनियम 20 के प्रयोजन के लिए, 'अनुज्ञप्तिधारी' पद में समझा गया अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित नहीं है ।

20. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

- (1) आयोग निम्नलिखित किंही भी परिस्थितियों में, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात् :-
- (क) जहां आयोग की राय में, अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित कोई बात करने में जानबूझकर और विलंबित व्यतिक्रम करता है;
- (ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में से किसी को भंग करता है;
- (ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त नियत अवधि के भीतर या किसी ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात कर सकेगा, आयोग के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित करने में असफल रहता है कि वह अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः और दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में है ;
- (घ) जहां आयोग की राय में, अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा उसे अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः तथा दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में असमर्थ है ;
- (ङ) जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत में पारेषण करने में असफल हुआ है या उसकी उपेक्षा की है;
- (च) जहां अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है:

- (छ) जहां अनुज्ञप्तिधारी संनिर्माण या प्रचालन प्रक्रम के दौरान पारेषण सेवा करार के किंही भी निबंधनों तथा शर्तों को भंग करता है:

परंतु यह कि अनुज्ञप्ति को तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा जब तक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आयोग द्वारा जांच नहीं की जाती है तथा जब तक अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए लिखित में बताए जाने वाले आधारों में 3 मास से अन्यून की सूचना नहीं दे दी गई है तथा उस अवधि, जिसके प्रति प्रतिसंहरण का प्रस्ताव किया गया है, के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दर्शित कारणों पर विचार नहीं किया जाता है;

परंतु यह भी कि आयोग, किसी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने बजाय, ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिशोपित करना ठीक समझे, अनुज्ञप्ति को प्रवर्तन में बने रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार अधिशोपित कोई भी अतिरिक्त निबंधन और शर्त अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगी तथा उसके द्वारा उनका पालन किया जाएगा और ऐसे निबंधनों और शर्तों का वैसा ही बल और प्रभाव होगा मानो वह अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट हों ।

- (2) जब अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करता है और आयोग का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है जो आयोग उसकी अनुज्ञप्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, प्रतिसंहृत कर सकेगा ।
- (3) आयोग अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिसंहरण की सूचना की तामील करेगा तथा वह तारीख नियत करेगा जिस तारीख को प्रतिसंहरण प्रभावी होगा तथा अनुज्ञप्ति के अधीन बाध्यताएं कैसे तथा किसके द्वारा ऐसे प्रतिसंहरण के पश्चात् निर्मोचित की जानी हैं ।
- (4) यदि आयोग का किसी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाता है कि परियोजना का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परित्याग कर दिया गया है जिसके द्वारा उसके संनिर्माण, प्रचालन या रखरखाव पर प्रभाव पड़ेगा तो आयोग केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे आयोग उपयुक्त समझे, को अधिनियम की धारा 20 तथा धारा 21 के अनुसार अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए कार्यवाही के लंबित होते हुए तथा विक्रय तथा अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिताओं के निहित करने के

लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में परियोजना के संनिर्माण, प्रचालन या रखरखाव का कार्य तत्काल सौंपेगा।

अध्याय 6 - प्रकीर्ण

21. अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया

- (1) जहां आयोग का अपने पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या उसके उल्लंघन किए जाने की संभावना है तो वह उसकी आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए उसके द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने की संभावना के लिए अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस की तामील करेगा।
- (2) नोटिस की तामील उसको उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या उसके निवास या कारबार के सामान्य या अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या वाहक के माध्यम से परिदान करके की जाएगी या समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा तब की जाएगी यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या हाथ से या किसी अन्य रीति से, जैसा मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में आयोग उचित समझे, सूचना की तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है।
- (3) आयोग यदि यह मानता है कि ऐसे उल्लंघन द्वारा प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति की जानकारी में मामले को लाना आवश्यक है तो वह एक या उससे अधिक समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति से सुझाव आमंत्रित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन किए गए या उल्लंघन किए जाने की संभावना के लिए निबंधन तथा शर्तों को विनिर्दिष्ट होंगे।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित होने वाला अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति, यथास्थिति, खंड (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से या खंड (3) के अधीन समाचारपत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर अपनी आपत्तियां या सुझाव, फाइल कर सकेंगे।

- (5) आयोग यथापूर्वोक्त प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश दे सकेगा जो अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

22. विवाद समाधान

(1) अनुज्ञप्ति या उसके निबंधन तथा शर्तों के निर्वचन से उद्भूत या संशक्त सभी विवाद या मतभेद करारों के अनुसार यथासंभव पारस्परिक परामर्श और सुलह द्वारा निपटाए जाएंगे।

(2) खंड (1) में उल्लिखित रीति से विवाद या मतभेद का समाधान करने के लिए पक्षकारों के असफल रहने की दशा में, उन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी असफलता को अभिलिखित करने के एक मास के भीतर न्यायनिर्णयन या माध्यस्थम् के लिए आयोग को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

23. पत्र-व्यवहार

(1) इन विनियमों के अधीन सभी पत्र-व्यवहार लिखित में होंगे और संबोधितों को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को परिदत्त किए जाएंगे या संबोधितों के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या निवास के प्रायिक या अंतिम ज्ञात स्थान पर या कारबार के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

(2) सभी संसूचनाएं भेजने वाले द्वारा तब दी गईं और संबोधितों द्वारा तब प्राप्त की गईं समझी जाएंगी जब -

(i) संबोधित को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजी जाती हैं ; और

(ii) संबोधितों के पते और रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा संसूचनाएं भेजने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति पर भेजी जाती हैं।

24. शिथिल करने की शक्ति

आयोग जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा या हटा सकेगा।

25. निरसन तथा व्यावृत्ति

- (1) जब तक इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2003 निरसित किए जाते हैं।
- (2) इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं विशेष परियोजनाओं के रूप में समझी जाएंगी तथा ये विनियम ऐसी परियोजनाओं को इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से लागू होंगे।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/09]

प्ररूप - 1

पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदक की विशिष्टियां
 - i) आवेदक का नाम
 - ii) प्रास्थिति : व्यक्ति/भागीदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी
 - iii) पता :
 - iv) संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता :
 - v) संपर्क टेली. सं. :
 - vi) फैक्स नं. :
 - vii) ई-मेल आई डी :
 - viii) सामामेलन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान :
 - ix) सामामेलन/रजिस्ट्रीकरण का वर्ष :
 - x) निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं :
 - (क) रजिस्ट्रकरण का प्रमाणपत्र

(ख) आवेदक या उसके संप्रवर्तकों की
सुपुर्दगी के लिए हस्ताक्षरी का
मूल मुख्तारनामा

2. उस परियोजना की विशिष्टियां जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा रही है:

(क) पारेषण लाइनें

क्रम सं.	नाम (अंतिम-अवस्थान स्थान)	वोल्टेज प्रवर्ग (के वी)	लंबाई (कि.मी.)	प्रकार (एस/सी या डी/सी)

(ख) उपकेंद्र

क्रम सं.	नाम (अवस्थान)	वोल्टेज स्तर (के वी)	ट्रांसफार्मर (सं. तथा एम वी ए क्षमता)	रिएक्टिव/केपसिटिव कंपनसेशन (एमवीए आर क्षमता के साथ युक्ति)	वेजों की संख्या

(ग) कमीशनिंग अनुसूची

(घ) परियोजना के पहचाने गए दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक (आवेदन के साथ करार या संबंधी विचार-विमर्श प्रास्थिति प्रस्तुत की जानी है) ।

(ड.) कोई अन्य सुसंगत जानकारी

3. स्तरीय पारेषण प्रभार, यदि परियोजना का चयन प्रतिस्पर्धा बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है तथा अन्य मामलों में परियोजना की प्राक्कलित समापन लागत ।

(प्राक्कलित लागत की दशा में स्तरीय पारेषण प्रभार प्राक्कलित लागत को आधार मास और वर्ष के साथ भारतीय रूपए में उपदर्शित किया जाना चाहिए)

4. यदि आवेदक का चयन प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है तो निम्नलिखित संलग्न करें :-

(क) सशक्त समिति द्वारा चयन की सिफारिश

(ख) बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा सार्वजनिक की गई मूल्यांकन रिपोर्ट

5. संलग्न दस्तावेजों की सूची:
दस्तावेज का नाम

क)

ख)

ग)

घ)

तारीख:

स्थान:

(आवेदक या प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर)

प्ररूप - 2

(सार्वजनिक सूचना का प्ररूप)

आवेदक का मोनोग्राम, यदि कोई हो
आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)
आवेदक का पता (बड़े अक्षरों में)

सूचना (बड़े अक्षरों में)

[विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 15 की उपधारा (2) के
अधीन] (बड़े अक्षरों में)

(कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जानी है जिसमें से एक अंग्रेजी में और दूसरी देशी भाषा में हो जिसका परिचालन उस प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हो जहां परियोजना की कोई भी आस्तियां हो या उसी भाषा के दैनिक समाचारपत्र में जहाँ दीर्घ-कालिक ग्राहक अवस्थित हो)

1. (यहां पर बड़े अक्षरों में आवेदक का नाम दें), जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में हैं (बड़े अक्षरों में पता दें), जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित किया गया है, ने पारेषण लाइन, उपकेंद्रों और अन्य आस्तियों के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	लाइन/उपकेंद्र का नाम (अवस्थान)	लाइन की लंबाई ¹ / क्षमता ²	पूरा करने की प्राक्कलित लागत ³ या स्तरीय पारेषण प्रभार ⁴ (यदि आवेदक का चयन प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है)	लगाए जाने की अनुसूची	टिप्पणियां ⁵

स्पष्टीकरण टिप्पण

ये उपरोक्त जानकारी देने के लिए स्पष्टीकारक टिप्पण हैं और इन्हें सार्वजनिक सूचना में सम्मिलित नहीं किया जाना है -

1. पारेषण लाइन की दशा में ।
2. उप केंद्र की दशा में ।
3. प्राक्कलित लागत के आधार मास और वर्ष सहित भारतीय रुपए में प्राक्कलित लागत ।
4. कोट किए गए टैरिफ के आधार पर स्तरीकृत पारेषण प्रभार तथा बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त छूट कारक और वृद्धि कारक ।
5. टिप्पणी स्तंभ में, कोई ऐसे अन्य ब्यौरों के अलावा जो आवश्यक समझे जाएं, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए कि किसी छावनी, हवाई अड्डे, जंगल, शस्त्रागार, डाकयार्ड या कैंप या किसी भवन में या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के अधिभोग में या इन स्थापनों के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई स्थान या आरक्षित वनों में पूर्णतः या भागतः कोई आस्ति आस-पास है या अवस्थित है ।

2. आयोग के समक्ष फाइल किया गया पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा देखने के लिए वेबसाइट (वेबसाइट का पता दें) पर उपलब्ध हैं । आवेदन का निरीक्षण (निरीक्षण अनुज्ञात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दें) सहित कंपनी (कंपनी का पता या संदर्भ दें यदि मोनोग्राम में दिया गया है) पर भी या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, आयोग के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, समाचार-पत्र में सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (यहां आयोग के कार्यालय का पता दें) के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे और आपत्तियों या सुझावों की एक प्रति आवेदक या उसके प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान की जाएगी।

तारीख:

स्थान:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का नाम और पदनाम)

प्ररूप - 3

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली
पारेषण अनुज्ञप्ति

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आयोग' कहा गया है), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित (परियोजना का नाम) के संनिर्माण, स्वामित्वाधीन, रखरखाव तथा प्रचालन के लिए, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप पढ़े जाएंगे, (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को अधिनियम, नियमों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तों, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप पढ़े जाएंगे, के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।

2. समापन अनुसूची, अंतरण मूल्य, परिनिर्धारित नुकसानी, परियोजना कार्यान्वयन गारंटीकृत निक्षेप, स्वदेशी मुद्रास्फीति के कारण उतार-चढ़ाव, जो बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है तथा करार के उपबंध है, जैसी शर्तों को, जो सीमित नहीं हैं, इस अनुज्ञप्ति का भाग रूप समझे जाएंगे जब तक कि ये उपबंध केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के प्रतिकूल न हों;

3. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें), विनियम, 2009 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है।

4. अनुज्ञप्तिधारी को यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में वर्णित परियोजना से भिन्न पारेषण प्रणाली के लिए उसी क्षेत्र में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार को किसी भी रूप या शीति से निर्बंधित नहीं करेगी। अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से कोई भी दावा नहीं करेगा।

5. अनुज्ञप्ति, जब तक कि पहले प्रतिसंहत नहीं कर ली जाए, इसके जारी होने की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

(सचिव)

अनुसूची

1.0 परियोजना संबंधित ब्यौरे:

परियोजना अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनेगी:

क्रम सं.	पारेषण तत्व का नाम	कमीशनिंग की अनुसूचित तारीख

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2009

No. L-7/165(180)/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER - I -- PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions and Interpretation

(1) In these regulations, unless the context or subject-matter otherwise requires,-

(a) "Act" means "The Electricity Act, 2003 (36 of 2003),

(b) "agreement" means the agreement, contract, memorandum of understanding, or any other covenant on any aspect relating to the inter-State transmission of electricity, entered into between the licensee, the long-term customers and the Central Transmission Utility or the deemed licensee;

- (c) "applicant" means a person who has made an application for grant of licence or, for amendment of licence, as the case may be;
- (d) "application" means the application made for grant of licence or, for amendment of licence, as the case may be, and includes annexures, enclosures to such application;
- (e) "bid process coordinator" means an agency notified by the Central Government for coordinating the process of inviting bids for procurement of services for inter-State transmission of electricity in accordance with the guidelines for competitive bidding;
- (f) "Central Transmission Utility" means the Central Transmission Utility notified by the Central Government under sub-section (1) of Section 38 of the Act;
- (g) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;
- (h) "deemed licensee" means a person, who is deemed to be a licensee for inter-State transmission of electricity under any of the provisos to Section 14 of the Act.
- (i) "Empowered Committee" means the Empowered Committee referred to in the guidelines for encouraging competition;
- (j) "financial year" means a period of twelve months commencing on 1st April of a year and terminating on 31st March of the following year;
- (k) "Grid Code" means the Indian Electricity Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;

- (i) "guidelines for competitive bidding" means the guidelines issued by the Central Government from time to time in terms of Section 63 of the Act for development of transmission projects;
- (m) "guidelines for encouraging competition" means the guidelines issued by the Central Government for encouraging competition in development of transmission service;
- (n) "licence" means a licence granted by the Commission under Section 14 of the Act to a person to undertake inter-State transmission of electricity;
- (o) "licensee" means a person who has been granted a licence, and includes a deemed licensee;
- (p) "long-term customer" means a long-term customer as defined in the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, including statutory amendments and re-enactments thereof;
- (q) "project" means an element or elements of the inter-State transmission system included in the transmission plan;
- (r) "standards" means the technical standards, safety requirements and grid standards specified by the Central Electricity Authority under Section 73 of the Act;
- (s) "state owned or controlled company" means a company in which not less than fifty one percent of the paid-up share capital is held or the majority of directors on whose Board are appointed, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or by any Government company or companies, or by the Central Government and any State Government or Governments and any Government company or companies;

- (t) "transmission charges" means the transmission charges approved or adopted, as the case may be, by the Commission for the project;
- (u) "transmission plan" means the short-term and perspective plan prepared by the Central Electricity Authority or network plan prepared by the Central Transmission Utility in accordance with the National Electricity Policy.
- (2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act or the Grid Code shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the Grid Code.
- (3) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as amended from time to time, shall apply for the interpretation of these regulations as it applies for interpretation of an Act of Parliament.

CHAPTER - II -- SELECTION OF PROJECT AND IMPLEMENTING AGENCY

3. Selection of Projects

The Empowered Committee shall identify the projects included in the transmission plan to be developed under the guidelines for competitive bidding.

4. Project Developer

(1) In case of the projects identified by the Empowered Committee for development under the guidelines for competitive bidding, selection of the project developer shall be made in accordance with the procedure laid down under these guidelines.

(2) The projects included in the transmission plan and not identified by the Empowered Committee to be developed under the guidelines for competitive bidding may be developed by the Central Transmission Utility or other deemed

licensee, or a state owned or controlled company identified as project developer on or before 5.1.2011.

CHAPTER - III -- GRANT OF LICENCE

5. Proceedings before the Commission

All proceedings before the Commission under these regulations shall be governed by the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, including amendments and statutory re-enactments thereof.

6. Eligibility for Grant of licence

No person shall be eligible for grant of licence unless it is—

- (a) selected through the process under the guidelines for competitive bidding, or
- (b) a state owned or controlled company identified as a project developer on or before 5.1.2011, or
- (c) a generating company which has established the dedicated transmission line, and intends to use such dedicated transmission line as the main transmission line and part of the inter-State transmission system:

7. Procedure for Grant of Licence

(1) The application for grant of licence shall be made to the Commission in Form-I appended to these regulations and shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the Central Government from time to time.

(2) In case of the person selected for implementation of the project in accordance with the guidelines for competitive bidding, the application shall also contain such additional information, as may be required under these guidelines.

- (3) The application shall be supported by affidavit of the person acquainted with the facts stated therein.
- (4) Before making an application, the applicant shall serve a copy of the application on each of the long-term customers of the project and shall submit evidence to that effect along with the application and shall also post the complete application along with annexures and enclosures on its web site, the particulars of which shall be given in the application.
- (5) The application shall be kept on the web site till such time the licence is issued or the application is rejected by the Commission.
- (6) Immediately on making the application, the applicant shall forward a copy of the application to the Central Transmission Utility.
- (7) The applicant shall, within 7 days after making the application, publish a notice of its application in Form-II attached to these regulations, in at least two daily newspapers, one in English language and one in vernacular language, having circulation in each State or Union Territory where an element of the project or a long-term customer is situate, in the same language as of the daily newspaper in which the notice of the application is published.
- (8) As far as possible, within 7 days of receipt of the application the Secretariat of the Commission shall convey defects, if any, if noticed on preliminary scrutiny of the application for rectification and the defects conveyed shall be rectified by the applicant in such time as may be indicated in the letter conveying the defects.
- (9) In the notice published in the newspapers under clause (7) it shall be indicated that the suggestions and objections, if any, on the application, may be filed before the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, Third Floor, Chanderlok Building, Janpath, New Delhi-110001 (or the address where the office of the Commission is situated), with a copy to the applicant, by any

person, including the long-term customers, within 30 days of publication of the notice..

(10) The applicant shall within 15 days from the date of publication of the notice as aforesaid submit to the Commission on affidavit the details of the notice published, indicating the newspapers in which the notice has been published and the date and place of their publication and shall also file before the Commission the relevant copies of the newspapers, in original, in which the notice has been published.

(11) The Central Transmission Utility shall send its recommendations, if any, to the Commission on the proposal made in the application within a period of thirty days from the date of receipt of application by it:

Provided that copy of the recommendations, if any, made by the Central Transmission Utility shall always be forwarded to the applicant;

Provided further that the recommendations of the Central Transmission Utility shall not be binding on the Commission.

(12) The applicant may file its comments, duly supported by an affidavit, on the recommendations made by the Central Transmission Utility and the suggestions and objections, if any, received in response to the public notice published by him, within 45 days of service of copy of the application on the Central Transmission Utility or publication of notices in the newspapers, with an advance copy to the Central Transmission Utility or the person who has filed the suggestions and objections on the proposal made in the application, as the case may be.

(13) The Commission after considering the suggestions and objections received in response to the public notice published by the applicant and the recommendations, if any, of the Central Transmission Utility may, propose to grant the licence or for reasons to be recorded in writing, reject the application.

(14) Before granting a licence, the Commission shall publish a notice of its proposal in such two daily newspapers, as the Commission may consider appropriate, stating the name and address of the person to whom it proposes to grant the licence, details of the project for which it proposes to grant licence, location or route of the elements of the project, in addition to any other details that the Commission may consider appropriate, to invite further suggestions and objections on its proposal.

(15) The Commission may after consideration of the further suggestions and objections, if any, received in response to the public notice as aforesaid, grant licence as nearly as practicable in Form-III attached to these regulations or for reasons to be recorded in writing, reject the application if such application is not in accordance with the provisions of the Act, the rules or regulations made thereunder or any other law for the time being in force or for any other valid reason.

(16) The Commission may before granting licence or rejecting the application provide an opportunity of hearing to the applicant, the Central Transmission Utility, the long-term customers, or the person who has filed suggestions and objections, or any other person:

Provided further that the applicant shall always be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting the application.

(17) The Commission shall within 15 days of making the order to grant the licence, send a copy of the licence to the Central Government, the Central Electricity Authority, the Central Transmission Utility, the applicant and the long-term customers.

CHAPTER - IV -- TRANSMISSION CHARGES

8. Determination of Transmission Charges

(1) In case the licensee has been selected for implementation of the project in accordance with the guidelines for competitive bidding, the transmission charges shall be adopted by the Commission in accordance with Section 63 of the Act.

(2) In all other cases, the transmission charges, incentive, or disincentive and other charges shall be determined in accordance with the terms and conditions for determination of tariff specified by the Commission under Section 61 of the Act and in force from time to time.

9. Impact of Change of Law on Transmission Charges

In case the licensee has been selected for development of the project in accordance with the guidelines for competitive bidding, impact of change of law on the transmission charges shall be subject to the provisions made in the agreements.

CHAPTER – V – TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

10. Obligations of Licensee

(1) The licensee shall, during the validity of the licence, maintain insurance in accordance with prudent utility practices or as may be necessary under-

- (a) any of the agreements; and
- (b) the laws in force in India:

Provided that the licensee may opt for self-insurance.

(2) The licensee shall build the project in a time-bound, efficient, coordinated and economical manner.

(3) The licensee shall, establish, operate and maintain the project in accordance with the prudent utility practices and the agreements.

(4) The licensee shall comply with such directions of the National Load Despatch Centre under section 26 of the Act, or the Regional Load Despatch Centre under sub-section (3) of section 28 or sub-section (1) of section 29 thereof, as may be issued from time to time for maintaining the availability of the project:

Provided that without prejudice to any other action which may be taken against the licensee under any other law for the time being in force, the Commission, on an application made by the National Load Despatch Centre or the Regional Load Despatch Centre and after hearing the licensee, on being

satisfied that the licensee has failed to maintain the availability of the transmission system may issue such directions to the National Load Despatch Centre or the Regional Load Despatch Centre to take control of the operations of the transmission system of such licensee for such period and on such terms, as the Commission may decide.

(5) The licensee shall strictly comply with all laws in force and, in particular, the Act, the rules and regulations framed pursuant to the Act, the Grid Code, the standards, orders and directions issued by the Commission.

(6) The licensee shall provide non-discriminatory open access to its transmission system for use by any other licensee, including a distribution licensee or an electricity trader, or generating company or any other person in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-state Transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time.

(7) The licensee shall pay the licence fee in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2008 or such other regulations as may be in force from time to time.

(8) Wherever prior approval of the Commission is required, the licensee shall make an appropriate application before the Commission in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 as amended from time to time including statutory re-enactment thereof.

(9) The licensee shall comply with all other regulations, including the regulations specified by the Commission regarding utilisation of the transmission assets for a business other than transmission of electricity.

11. Prohibited Activities

The licensee shall not enter into any contract or otherwise engage in the business of trading of electricity:

12. Assignment of Licence

In case of default by the licensee in debt repayment, the Commission may, on an application made by the lenders, assign the licence to a nominee of the lenders.

13. Term of Licence

The licence shall unless revoked earlier, continue to be in force for a period of 25 years from the date of issue:

Provided that after expiry of the term of licence, the Commission may grant fresh licence for such further period or periods and on such terms and conditions as the Commission may consider appropriate after an application to that effect is made by the licensee;

Provided further that in case of grant of fresh licence, the procedure for making application for grant of licence contained in these regulations shall be applicable *mutatis mutandis*.

14. Consequences of Late Payment or Non-payment of Licence Fee

Notwithstanding the liability of the licensee to pay the late payment surcharge under the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2008 or any other regulations in force, delay in payment or non-payment of the licence fee or a part thereof, for a period exceeding 60 days, shall be construed as breach of the terms and conditions of the licence.

15. Accounts of the Licensee

The licensee shall -

(a) maintain separate accounts for each business, including the business of the undertaking utilising assets of the project, in such form and containing such particulars as may be specified by the Commission and till such time these are specified by the Commission, the accounts shall be maintained in accordance with the Companies Act, 1956, as amended from time to time.

(b) prepare from such records, accounting statements for each financial year comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of source and application of funds together with notes thereto and showing separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been either:

2081 अगस्त-5

- (i) charged from or to any other business together with a description of the basis of that charge; or
- (ii) determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description on the basis of the apportionment or allocation.

(c) get the accounting statements prepared in accordance with foregoing clauses, duly certified by the Auditors in respect of each financial year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenues, costs, assets, liabilities, reserves reasonably attributable to the business to which the statements relate.

16. Inspection of Accounts

Any person authorised by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts of the licensee at any reasonable point of time and the licensee shall be under obligation to render all necessary assistance to the person so authorized for inspection of accounts.

17. Submission of Information

The licensee shall submit such information, as may be called for from time to time by the Commission or the Regional Load Despatch Centre, or the Regional Power Committee in order to fulfill responsibility of supervision and control over the inter-State transmission system entrusted under the Act:

Provided that the Regional Load Despatch Centre or the Regional Power Committee may from time to time, report to the Commission, such of the developments, as they consider appropriate in regard to performance of licensee.

18. Prudential Reporting

The licensee shall, as soon as practicable, report to the Commission:

- (a) any change in major shareholding, ownership or management of the licensee, and
- (b) any proceedings initiated by one or more of the parties signing the agreement for interpretation, amendment or termination of the agreement.

19. Amendment of Licence

(1) The Commission may of its own motion or on an application made by the licensee or otherwise make such alterations and amendments in the terms and conditions of licence if the Commission is of the opinion that the public interest so requires:

Provided that before ordering any alterations and amendments in the terms and conditions of the licence, proposed to be made otherwise than on the application of the licensee, the Commission shall publish a notice in two such daily newspapers as it considers necessary with the following particulars, namely:-

- (a) name and address of the licensee;
- (b) alterations and modifications proposed to be made;
- (c) grounds for such alterations and modifications; and
- (d) statement inviting suggestions, if any, on the proposal for consideration of the Commission within the time specified in the notice.

(2) The procedure specified in regulation 7 shall *mutatis mutandis* be applicable in case the licensee makes an application for any alteration of or modification to the terms and conditions of the licence.

(3) Where the licensee has made an application proposing any alteration and modification of its licence, it shall publish a notice of such application, with the following particulars, namely:-

- (a) name of the applicant;
- (b) that an application for alteration and modifications has been made before the Commission;
- (c) details of alteration and modifications proposed in the application;
- (d) reasons for seeking such alterations and modifications;

(e) a statement that the application made before the Commission has been posted on the web site and can also be inspected in the office of the applicant;

(f) a statement that any suggestion to the proposal for alteration and modifications made in the application may be submitted to the Secretary of the Commission within one month of publication of the notice;

Note: For the purpose of this regulation and regulation 20, the term "licensee" does not include the deemed licensee.

20. Revocation of Licence

(1) The Commission may revoke the licence, in any of the following circumstances, namely:-

(a) Where the licensee in the opinion of the Commission, makes willful and prolonged default in doing anything required of it by or under the Act, or the Rules or the regulations framed pursuant to the Act;

(b) Where the licensee breaches any of the terms and conditions of its licence;

(c) Where the licensee fails, within the period fixed in this behalf by its licence or any longer period which the Commission may allow therefor, to show to the satisfaction of the Commission, that it is in a position fully and efficiently to discharge the duties and obligations imposed on him by its licence;

(d) Where in the opinion of the Commission the financial position of the licensee is such that it is unable to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed on it by its licence;

(e) Where licensee has failed or neglected to undertake transmission in electricity;

(f) Where the licensee fails to submit the information as required under these regulations;

(g) Where the licensee breaches any of the terms and conditions of Transmission Service Agreement during the construction or operations phase;

Provided that the licence shall not be revoked except after an enquiry by the Commission in accordance with principles of natural justice, and unless the licensee has been given not less three months' notice in writing stating the grounds for revocation of licence and considering the cause shown by the licensee within the period of that notice against the proposed revocation:

Provided further that the Commission may, instead of revoking the licence, permit the licence to remain in force subject to such further terms and conditions as it thinks fit to impose, and any further terms and conditions so imposed shall be binding upon and be observed by the licensee and shall be of like force and effect as if they were contained in the licence.

(2) When the licensee makes an application for revocation of the licence and the Commission is satisfied that public interest so requires, the Commission may revoke licence, on such terms and conditions as it thinks fit.

(3) The Commission shall serve a notice of revocation upon the licensee and fix a date on which the revocation shall take effect and shall simultaneously specify how and by whom the obligations under the licence are to be discharged after such revocation.

(4) If the Commission at any stage is satisfied that the project has been abandoned by the licensee thereby affecting its construction, operation or maintenance, the Commission may direct the Central Transmission Utility or any other person found suitable by the Commission, to immediately take over construction, operation or maintenance of the project as an interim measure pending finalization of proceedings for revocation of licence and sale and vesting of utilities of the licensee in accordance with sections 20 and 21 of the Act.

CHAPTER - VI - MISCELLANEOUS**21. Procedure for Securing Compliance of Terms and Conditions of Licence**

(1) Where the Commission, on the basis of material in its possession is satisfied that the licensee is contravening, or is likely to contravene, the terms and conditions of licence, it shall serve a notice to the licensee narrating the terms and conditions of licence contravened or likely to be contravened by him to seek its explanation.

(2) The notice may be served on him by delivering the same at the registered office or at the usual or its last known place of residence or business, either through registered post or speed post or by hand delivery through a messenger or publication in the newspaper where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notice on the licensee through registered post/speed post or by hand delivery or in any other manner as considered appropriate by the Commission in the facts and circumstances of the case.

(3) The Commission if it considers that it is necessary to bring the matters to the attention of persons affected or likely to be affected by such contravention, shall publish a notice in one or more newspapers specifying the terms and conditions contravened or likely to be contravened by the licensee to invite suggestions from such persons.

(4) The licensee or the persons affected or likely to be affected by the contravention of the terms and conditions of the licence by the licensee may file their objections or suggestions within 30 days from the date of receipt of notice under clause (1) or publication of notice in the newspapers under clause (3), as the case may be.

(5) The Commission shall on consideration of the objections and suggestions received as aforesaid, pass such order or give such directions as may be necessary to secure compliance of the terms and conditions of licence.

22. Dispute Resolution

(1) All disputes or differences arising out of or connected with the interpretation of the licence or the terms and conditions thereof, shall, as far as

possible, be resolved by mutual consultation and reconciliation in accordance with the agreements.

(2) In the event of failure of the parties to resolve the disputes or differences in the manner stated in clause (1), these shall be referred by the licensee to the Commission for adjudication or arbitration, within one month of recording of such failure.

23. Communication

(1) All communications under these regulations shall be in writing and shall be delivered either in person to the addressee or its authorised agent, or sent by registered post or speed post at the registered office or at the usual or last known place of residence or business of the addressee.

(2) All communications shall be deemed to have been given by the sender and received by the addressee –

(a) when delivered in person to the addressee or to its authorised agent; or

(b) on expiry of 15 days from the date of sending the communication by registered or speed post at the address of the addressee.

24. Power to Relax

The Commission may, when it considers necessary or expedient to do so and for reasons to be recorded in writing, relax or depart from any of the provisions of these regulations.

25. Repeal and Saving

(1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms & Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2003 are hereby repealed.

(2) The projects approved by the Commission prior to commencement of these regulations shall be treated as special projects and these regulations shall apply to such projects from the date of commencement of these regulations.

ALOK KUMAR, Secy.
[ADV T/III/4/Exty./150/09]

FORM-I**Application Form for Grant of Transmission licence**

1. **Particulars of the Applicant**
 - i) **Name of the Applicant** :
 - ii) **Status** : Individual/ partnership firm/ Private Limited Company/ Public Limited Company
 - iii) **Address** :
 - iv) **Name, Designation & Address of the Contact Person** :
 - v) **Contact Tel. No.** :
 - vi) **Fax No.** :
 - vii) **Email ID** :
 - viii) **Place of Incorporation/Registration** :
 - ix) **Year of Incorporation/Registration** :
 - x) **Following documents are to be enclosed:**
 - (a) **Certificate of registration**

(b) Original Power of Attorney of
the signatory to commit the
Applicant or its promoter

2. Particulars of the Project for which licence is being sought:

(a) Transmission Lines:

S.No.	Name (end-points location)	Voltage Class (kV)	Length (Km)	Type (S/C or D/C)

(b) Sub-stations

S.No.	Name (location)	Voltage Level(s) (kV)	Transformer (Nos. and MVA capacity)	Reactive / capacitive compensation (device with MVAR capacity)	No. of bays

(c) Commissioning schedule;

(d) Identified Long-term transmission customers of the Project:

(Agreements or status of discussion on Agreements to be submitted along with application)

(e) Any other relevant information

3. Levelised transmission charges in case of project selected through the transparent process of competitive bidding and estimated completion cost of the project in other cases:

(The levelised transmission charges estimated cost should be indicated in INR, along with the base month and year in case of the estimated cost)

4. In case applicant has been selected in accordance with the guidelines for competitive bidding, enclose:
- (a) Recommendation of selection by the Empowered Committee
 - (b) Evaluation report made public by the Bid Process Coordinator.

5. List of documents enclosed:

Name of document

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

(Signature of Applicant or
the person Authorised

Dated :

Place:

Form II**(Form of Public Notice)****Monogram, if any, of the applicant****Name of the applicant (In bold letters)****Address of the applicant (In bold letters)****NOTICE (In bold letters)****(Under sub-section (2) of Section 15 of the Electricity Act, 2003)****(In bold letters)**

(To be published in at least two daily newspapers, one in English and the other in the vernacular language having circulation in each of the State/Union Territory where any element of the Project or the long-term customer is situate in the same language as of the daily newspapers.)

1. (Give here name of the applicant in BOLD LETTERS), having its Registered Office at(Give the address in BOLD LETTERS), which is incorporated under the Companies Act, 1956, has made an application before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi under sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 for grant of transmission licence in respect of the transmission lines, sub-stations and other assets, the details of which are given below:

Sl. No.	Name of the line/Sub-station (location)	Line length ¹ / Capacity ²	Estimated Completion Cost ³ or Levelised Transmission Charges ⁴ (If applicant is selected in accordance with guidelines for competitive bidding)	Commissioning Schedule	Remarks ⁵

Explanatory note:

These are explanatory notes for submitting above information and not to be included in the public notice.

1. *In case of a transmission line.*
2. *In case of a sub-station.*
3. *The estimated cost in INR along with the base month and year of the estimated cost.*
4. *Levelised Transmission Charges based on tariff quoted and discount factor and escalation factor used for evaluation by Bid Process Coordinator.*
5. *In the remarks column, in addition to any other details that may be considered necessary, it should be clearly mentioned whether any of the assets will traverse or will be located, wholly are partly, in any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or any of the buildings or place in occupation of the Government for Defence purposes or up to a distance of 2*

2. Complete application and other documents filed before the Commission are available on the web site (Give web site address) for access by any person. The application can also be inspected at the office of the Company at..... (Give address or reference to address, if given in the monogram) with (Give name of the person authorised to allow inspection) or Office of the Commission in accordance with the procedure specified by the Commission.

3. Objections or suggestions, if any, be filed before the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, (Give address of the Office of the Commission), with a copy of the objection(s)/suggestion(s) to the applicant or its authorized agent, within 30 days of the publication of the notice in the newspaper.

Place :

Name and Designation of the
Authorised signatory

Date :

Form-III**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NEW DELHI****TRANSMISSION LICENCE**

1. The Central Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "Commission"), in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "Act"), hereby grants the licence to (hereinafter referred to as the licensee) to construct, own, maintain and operate..... (Name of the Project), more specifically described in the schedule attached to this licence, which shall be read as a part and parcel of this licence, subject to the Act, the rules and the terms and conditions specified under the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2008 which shall be read as part and parcel of this licence.
2. The conditions such as but not limited to, completion schedule, transfer value, liquidated damages, Project Implementation Guarantee Deposit, escalation due to domestic inflation, which are specified in bid documents and provisions in the Agreements, shall be treated as part of this licence, unless these provisions are contrary to the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2008.
3. This licence is not transferable, except as provided in the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2008.
4. The grant of licence to the licensee shall not in any way or manner restrict the right of the Commission to grant a licence to any other person within the same area for the transmission system other than the Project described in

the schedule attached to this licence. The licensee shall not claim any exclusivity.

5. The licence shall, unless revoked earlier, continue to be in force for a period of 25 (twenty five) years from the date of issue.

Place: New Delhi.

Date:

SCHEDULE

1.0 Project Related Details:

The Project comprises of following elements of the Inter-State Transmission System:

S.No.	Name of the transmission element	Scheduled date of commissioning

Place: New Delhi

Date: